न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12/39/2023 रजू दिनांकः 16.02.2023 रजि0 न0 2023/117

अपीलार्थीः—

श्री रोहिताश पुत्र शिवचरण, निवासी ग्राम नांगल नियर नांगलमोड, पो0 मण्डी अटेली जिला महेन्द्रगढ—123021 (हरियाणा)।

प्रत्यर्थीः—

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय,जिला अलवर (राज0)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 13.03.2023

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 05.09.2022 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 27.02.2023 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2023/455 दिनांक 27.02.2023 के माध्यम से अवगत कराया है कि प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा RTI Online आवेदन संख्या 293635174294547 दिनांक 15.01.2023 के माध्यम से श्री सुमेरसिंह पुत्र योगेन्द्रसिंह यादव, पटवारी, तहसील नीमराना के विरूद्व राजस्व मण्डल, राज0 अजमेर से प्राप्त शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में की गई कार्यवाही बाबत बिन्दुवार सूचना प्रति चाही गई थी के संबंध में लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर संबंधित अनुभाग से जानकारी प्राप्त किये जाने पर, प्रभारी अधिकारी (भू.अ.) कलक्ट्रेट, अलवर के पत्रांक भू.अ./प्रा.जा./2023/4449 दिनांक 20.02.2023 के माध्यम से बिन्दुवार कुल 10 पृष्ठीय विस्तृत बिन्दुवार सूचना प्राप्त कर अपीलार्थी को भिजवाते हुए सूचित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 13.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर अलवर (राज0)